भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2181
01 अगस्त, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

पदोन्नतियों की लंबितता

†2181. श्री सुदामा प्रसादः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा सीजीएचएस दिल्ली के अंतर्गत फार्मास्यूटिकल्स (एलोपैथिक) संवर्ग के पुनर्गठन हेतु कोई कार्रवाई की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या मंत्रालय ने जारी किए गए उस आदेश का संज्ञान लिया है, जिसके अंतर्गत धिदेशित पदोन्नति को कार्यान्वित नहीं किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) आदेश के अंतर्गत लंबित पदोन्नतियों का ब्यौरा क्या है और कार्यालयी आदेश पारित होने के बावजूद पदोन्नतियां लंबित रहने के क्या कारण है; और
(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है और कार्यालयी आदेश के संबंध में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ): व्यय विभाग के दिनांक 06.04.2023 के अनुमोदन से सीजीएचएस के तहत फार्मासिस्ट (एलोपैथिक) संवर्ग का पुनर्गठन निम्नानुसार किया गया है:

पद का नाम	स्थिति	स्वीकृत संख्या
फार्मासिस्ट	मौजूदा पद	722
वरिष्ठ फार्मासिस्ट	नव सृजित	270
सहायक डिपो प्रबंधक	नव सृजित	44
डिपो प्रबंधक	नव सृजित	04

भारत सरकार में किसी भी पद पर भर्ती /पदोन्नति संबंधित पदों के लिए अधिसूचित भर्ती नियमों के अनुसार की जाती है। व्यय विभाग के अनुमोदन के पश्चात सीजीएचएस के तहत फार्मासिस्ट (एलोपैथिक) संवर्ग के लिए भर्ती नियम दिनांक 24.6.2024 को ही अधिसूचित किया जा चुका है।

इसके अतिरिक्त वरिष्ठ फार्मासिस्ट, सहायक डिपो प्रबंधक और डिपो प्रबंधक के नव सृजित पदोन्नयन के पदों के लिए भर्ती नियमों का अनुमोदन कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, संघ लोक सेवा आयोग और विधि कार्य विभाग के क्षेत्राधिकार में आता है।

*****